

प्रारूप-8

राजस्थान सरकार

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018


दिनांक- 30-8-18

**आदेश**

श्री लालूराम, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि गडरारोड- बाडमेर जिनकी जन्म तिथि:- 01/07/1968 है, का निधन दिनांक :- 16.06.2018 को हो चुका है। अतः श्री लालूराम, प्राध्यापक, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवार्यें दिनांक :- 16/06/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री लालूराम, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक- 30-8-18

9. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
10. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर
11. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाडमेर
12. प्रधानाचार्य, राउमावि गडरारोड- बाडमेर
13. आश्रित स्व. श्री लालूराम, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि गडरारोड- बाडमेर
14. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
15. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
16. निजी एवं रक्षित पत्रावली



अनुवृत्त निदेशक (कामिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 30/8/18

**आदेश**

श्रीमती विजय कुशवाहा, प्राध्यापक, हिन्दी, राबाउमावि, गांधी नगर जयपुर जिनकी जन्म तिथि:- 26/06/1962 है, का निघन दिनांक :- 01.08.2018 को हो चुका है। अतः श्रीमती विजय कुशवाहा, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 01/08/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती विजय कुशवाहा, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिंडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 30/8/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर
4. प्रधानाचार्य, राबाउमावि, गांधी नगर जयपुर
5. आश्रित स्व. श्रीमती विजय कुशवाहा, प्राध्यापक हिन्दी, राबाउमावि, गांधी नगर जयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



नियुक्त निदेशक (कामिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर